

प्रमुख,

श्री आशोक गंगुली,  
उप-सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा नं.

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र 2 अन्नाय केंद्र,  
प्रीति विहार नई दिल्ली ।

विभागाध्यक्ष जयपुर

संख्या: दिनांक: 28 अगस्त, 1995

विषय:-

नरेन्द्र देव डी०एच० परियोजना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को शीठशीठताओं नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में क्रा राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्रावित नही है ।

संक्षेप,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र आने का निदेश हुआ है कि नरेन्द्र देव डी०एच० परियोजना केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को शीठशीठताओं नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में क्रा राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्रावित नही है :-

- 111 शिक्षा विभाग की संवीकृत योजनाओं का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 112 शिक्षा विभाग की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 113 शिक्षा विभाग में कम से कम एक प्रतिभा स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित शिक्षा विभागों में विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 114 सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा शिक्षा विभाग की संयुक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्ति फार दि संयुक्त केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा सम्बन्धता प्राप्त होनी है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 115 सेवा के लिए एवं शिक्षा निदेशक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा निदेशकों के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अगातरीय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभागों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश लगाए जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/विधियों में रखा जायेगा ।

9- उक्त शालों में राज्य सरकार के पुरानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विद्यालय में सभी अत्यावश्यक प्रशिक्षण कार्यरत है- जिसमें प्रधानाचार्य भी सम्मिलित है ।

3- उक्त प्रतिषन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिषन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक नागुनी  
उप सचिव ।

सं० 2362114/15-7-1995 तद्विनांक  
=====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।


2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक फैजाबाद ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।

4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- प्रधानक, नरेन्द्रप्रसाद ही०एच०वी० पब्लिक स्कूल हुमा रंगी, फैजाबाद ।

आशा है,



अशोक नागुनी  
उप सचिव ।